

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1972/कार्तिक 30, 1894

No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1972/KARTIKA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November 1972

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 514 dated the 21st March, 1970, the Central Government hereby appoints the first day of December, 1972 as the date on which the said Act shall come into force also in the area comprised within the limits of the cantonments of Barrackpore, Labong and Julapahar in the State of West Bengal.

[No. 1-1(Enf.)/72-VS.]

A. CHANDRA SEKHAR,

Registrar General, India and Ex-Officio Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1972

सांकांनं 463(अ).—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम का प्रांशिक उपान्तरण, भारतीय सरकार, गृह मंत्रालय के सामान्य कानूनी नियम 514 तिथि 21 मार्च, 1970, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 दिसम्बर, 1972 उस तारीख के रूप में नियुक्ति करती है जिसमें उक्त अधिनियम पश्चिमी बंगाल के बैरकपूर, लावंग और जल पहाड़ छावनीयों की सीमाओं में प्रवृत्त होगा।

[सं० 1-1 (ई एन एफ)/72-बी० एस०]

ए० चन्द्र शेखर,

महापंजीकार, भारत एवं पदेन

जनगणना आयुक्त, संयुक्त सचिव।